अनुलग्नक–II

बिजली क्षेत्र से संबंधित हालिया घटनाक्रमों पर रिपोर्ट
सौर ऊर्जा प्रभुत्व से उत्पन्न संकट

अप्रैल–मई 2026 के दौरान भारत के बिजली क्षेत्र ने भीषण गर्मी, शीतलन (कूलिंग) की तीव्र बढ़ती मांग, औद्योगिक वृद्धि तथा विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते विद्युतीकरण के कारण अभूतपूर्व परिचालन दबाव का सामना किया। देश ने 25 अप्रैल 2026 को दोपहर 3:38 बजे 256.1 गीगावाट की अब तक की सर्वाधिक विद्युत मांग दर्ज की। मांग में इस असाधारण वृद्धि के बावजूद राष्ट्रीय ग्रिड ने बिना किसी बड़े राष्ट्रव्यापी संकट या ग्रिड ध्वंस के बिजली की आवश्यकता को पूरा किया।

उच्चतम मांग की अवधि के दौरान कोयला–आधारित उत्पादन भारतीय विद्युत प्रणाली की रीढ़ बना रहा, जिसने कुल उत्पादन का लगभग 67 प्रतिशत योगदान दिया, जबकि सौर ऊर्जा ने लगभग 21.5 प्रतिशत योगदान देकर महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाई। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि एक ओर पारंपरिक तापीय उत्पादन का महत्व अभी भी बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान भी तीव्र गति से बढ़ रहा है।

हालाँकि तकनीकी रूप से राष्ट्रीय मांग पूरी कर ली गई, लेकिन विद्युत प्रणाली को विशेषकर शाम और रात्रिकालीन उच्च मांग के समय गंभीर परिचालन दबाव का सामना करना पड़ा। सूर्यास्त के बाद सौर उत्पादन में तीव्र गिरावट तथा शीतलन की निरंतर मांग ने ग्रिड पर भारी दबाव उत्पन्न किया। कई क्षेत्रों को गैर–सौर घंटों में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और रिपोर्टों के अनुसार कुछ अवधियों में रात्रिकालीन बिजली घाटा लगभग 5.4 गीगावाट तक पहुँच गया। **इस कमी की स्थिति के कारण बिजली एक्सचेंजों में विद्युत कीमतें असाधारण रूप से बढ़ गईं और बाजार समाशोधन मूल्य संकट की स्थिति में नियामकीय सीमा रू0 20 प्रति यूनिट तक पहुँच गया। इन घटनाक्रमों ने यह उजागर किया कि सौर ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता वाली प्रणाली में शाम के समय तीव्र "रैम्पिंग" आवश्यकताओं का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।**

2026 की गर्मियों के अनुभव यह संकेत देते हैं कि वर्तमान बिजली संकट पहले के कोयला संकट–आधारित संकटों से संरचनात्मक रूप से भिन्न है। **जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सौर उत्पादन, ने दिन के समय बिजली की कमी को काफी कम किया, वहीं पर्याप्त भंडारण अवसंरचना और लचीले संतुलन संसाधनों की अनुपस्थिति ने गैर–सौर घंटों में प्रणाली की कमजोरियों को उजागर कर दिया।** इससे भविष्य में ग्रिड की विश्वसनीयता और संसाधन पर्याप्तता सुनिश्चित करने हेतु बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS), पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं, जलविद्युत उत्पादन और लचीले तापीय संयंत्रों का महत्व काफी बढ़ गया है।

स्थिति की गंभीरता का प्रमाण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 के अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय के हस्तक्षेप से भी मिलता है। **मंत्रालय ने इस धारा के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए महँगे आयातित कोयला–आधारित तथा गैस–आधारित बिजली संयंत्रों को भी जनहित में अधिकतम उत्पादन करने का निर्देश दिया ताकि उच्च मांग के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।** धारा 11 के तहत निर्देश सामान्यतः केवल असाधारण परिस्थितियों में, जब ग्रिड सुरक्षा और जनहित प्रभावित हो रहे हों, तभी जारी किए जाते हैं। महँगे संयंत्रों को चलाने की आवश्यकता स्वयं इस बात को दर्शाती है कि देश को तीव्र गति से बढ़ती बिजली मांग, विशेषकर चरम मौसम और उच्च शाम की मांग के दौरान, पूरा करने में कठिनाई हो रही है।

इसके अतिरिक्त, उच्च मांग अवधि के दौरान अल्पकालिक बिजली बाजारों और एक्सचेंज–आधारित खरीद पर बढ़ती निर्भरता ने राज्य वितरण कंपनियों (DISCOMs) पर भारी वित्तीय बोझ डाला है। कई राज्य उपयोगिताओं को लोड शेडिंग से बचने और आपूर्ति विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए महँगी अल्पकालिक बिजली खरीदने के लिए विवश होना पड़ा। **यह स्थिति दीर्घकालिक संसाधन पर्याप्तता योजना, भंडारण अवसंरचना के विस्तार, ट्रांसमिशन प्रणालियों के आधुनिकीकरण तथा बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को समर्थन देने में सक्षम लचीले उत्पादन संसाधनों के विकास की आवश्यकता को रेखांकित करती है।**

श्रेणी-वार विद्युत मिश्रण

श्रेणी	उप-श्रेणी	स्थापित क्षमता (MW)	कुल में %
जीवाश्म ईंधन	कोयला	2,21,898	41.30%
	लिग्नाइट	6,620	1.23%
	गैस	20,122	3.75%
	डीजल	589	0.11%
	कुल जीवाश्म ईंधन	2,49,229	46.39%
गैर-जीवाश्म ईंधन	RES (जल विद्युत सहित)	2,79,255	51.98%
	जल विद्युत (PSPs सहित)	51,665	9.62%
	पवन, सौर और अन्य RE	2,27,591	42.36%
	पवन	56,437	10.50%
	सौर	1,54,236	28.71%
	बायोमास विद्युत	10,869	2.02%
	कचरे से ऊर्जा	877	0.16%
	लघु जल विद्युत	5,171	0.96%
	परमाणु	8,780	1.63%
	कुल गैर-जीवाश्म ईंधन	2,88,035	53.61%
कुल	कुल स्थापित क्षमता	5,37,264	100.0%

1. भारत का बिजली क्षेत्र 500 गीगावाट क्षमता के पार

भारत ने बिजली क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 500 गीगावाट स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का आँकड़ा पार कर लिया है। यह देश के ऊर्जा परिदृश्य में एक बड़े परिवर्तन का प्रतीक है।

इस उपलब्धि की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अब कुल स्थापित क्षमता का आधे से अधिक हिस्सा गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों – जैसे सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा – से आता है। **नवीकरणीय ऊर्जा के तीव्र विस्तार ने भारत की पारंपरिक विद्युत संरचना को काफी बदल दिया है, जिसमें सौर ऊर्जा सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक बनकर उभरी है।** यह उपलब्धि भारत के 2030 तक 500 गीगावाट गैर–जीवाश्म क्षमता हासिल करने के दीर्घकालिक लक्ष्य से भी जुड़ी हुई है, जो उसके जलवायु और ऊर्जा संक्रमण संबंधी दायित्वों का हिस्सा है।

2. बिजली संशोधन विधेयक

प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक, 2025 ने देशभर में बिजली कर्मचारियों की फैडरेशनों, अधिकारियों की एसोसिएशनों, ट्रेड यूनियनों तथा विभिन्न राज्य बिजली उपयोगिताओं के बीच तीव्र विरोध उत्पन्न किया है। संसद में इस विधेयक को प्रस्तुत किए जाने की खबरों के बाद कई राष्ट्रीय स्तर के बिजली क्षेत्र संगठनों ने प्रस्तावित संशोधनों के विरुद्ध विरोध कार्यक्रमों तथा राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणाएँ कीं। यह मुद्दा सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उपयोगिताओं तथा विद्युत प्रशासन की वर्तमान संरचना पर संभावित प्रभाव के कारण भारतीय बिजली क्षेत्र में एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है।

3. मसौदा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 और भारत के बिजली क्षेत्र का उभरता रूपांतरण

भारत सरकार ने मसौदा राष्ट्रीय विद्युत नीति (NEP) 2026 जारी की है। इस नीति का उद्देश्य प्रति व्यक्ति बिजली खपत को 2024–25 के लगभग 1,460 kWh से बढ़ाकर 2030 तक 2,000 kWh और 2047 तक 4,000 kWh से अधिक करना है, साथ ही बिजली क्षेत्र को 2070 तक "नेट–जीरो उत्सर्जन" लक्ष्य के अनुरूप ढालना है। नीति में नवीकरणीय ऊर्जा, बड़े पैमाने पर बैटरी भंडारण प्रणाली, लचीले कोयला संचालन, निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान लगभग 8–9 GW से बढ़ाकर 2047 तक लगभग 100 GW करने पर विशेष बल दिया गया है।
इस मसौदा नीति की एक प्रमुख विशेषता बिजली क्षेत्र के भविष्य के विस्तार के लिए प्रतिस्पर्धी बाजारों और निवेश–आधारित वृद्धि पर बढ़ती निर्भरता है।

यह नीति पारंपरिक जनकल्याण–आधारित सार्वजनिक उपयोगिता संरचना से हटकर बिजली क्षेत्र को धीरे–धीरे व्यावसायिक ऊर्जा संरचना की ओर पुनर्गठित करने का संकेत देती है। **यद्यपि नीति दक्षता, नवाचार और आधुनिकीकरण को मुख्य उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत करती है, किंतु चिंता यह है कि कॉरपोरेट निवेश की बढ़ती भूमिका राज्य–स्वामित्व वाली उपयोगिताओं के परिचालन और वित्तीय क्षेत्र को सीमित कर सकती है।**

नीति परमाणु ऊर्जा विस्तार को भी असाधारण महत्व देती है, जिसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और उन्नत रिएक्टर तकनीकों के विकास हेतु निजी क्षेत्र की बड़ी भागीदारी शामिल है। **साथ ही, परियोजनाओं के क्रियान्वयन और निवेश प्रवाह को तेज करने के लिए परमाणु संयंत्रों के आसपास भूमि उपयोग प्रतिबंधों तथा निषेध क्षेत्र मानकों में ढील देने पर भी चर्चा शुरू हुई है।**

मसौदा NEP 2026 में एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि भविष्य की विद्युत प्रणालियाँ केवल स्थापित क्षमता वृद्धि पर नहीं, बल्कि प्रणाली की लचीलापन और संतुलन क्षमता पर अधिक निर्भर होंगी। इसी कारण नीति बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS), पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं, सहायक सेवाओं तथा उन्नत शेड्यूलिंग ढाँचों की बड़े पैमाने पर तैनाती का समर्थन करती है।

यह नीति बिजली क्षेत्र के भीतर उभरते वित्तीय अंतर्विरोधों को भी अप्रत्यक्ष रूप से उजागर करती है। **जहाँ एक ओर नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और तकनीकी आधुनिकीकरण तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी**

ओर वितरण उपयोगिताएँ ओपन एक्सेस, कैप्टिव उत्पादन और उच्च भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के बीच तेजी से बढ़ते रूफटॉप सोलर के कारण राजस्व दबाव झेल रही हैं। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहाँ सार्वजनिक उपयोगिताएँ ग्रिड के सामाजिक और अवसंरचनात्मक दायित्व उठाती रहें, जबकि राजस्व उत्पन्न करने वाले उपभोक्ता धीरे–धीरे प्रतिस्पर्धी निजी बाजारों की ओर स्थानांतरित हो जाएँ। इसका टैरिफ स्थिरता, क्रॉस–सब्सिडी संरचना तथा सस्ती बिजली की समान उपलब्धता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।

4. वैश्विक निवेश के लिए मोदी का आह्वान और भारत के बिजली क्षेत्र की भविष्य दिशा

इंडिया इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय ऊर्जा निगमों से भारत के बिजली क्षेत्र के रूपांतरण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले दो दशकों में भारत को लगभग 2.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। यह सम्मेलन भारत के बिजली क्षेत्र का वैश्विक वित्त और कॉरपोरेट निवेश ढाँचों के साथ बढ़ते एकीकरण को दर्शाता है। विदेशी निवेश, बाजार विस्तार और निजी भागीदारी पर लगातार दिया जा रहा जोर यह संकेत देता है कि बिजली क्षेत्र का भविष्य विकास मॉडल बड़े पैमाने के पूँजी–प्रधान निजी अवसंरचना विकास के इर्द–गिर्द निर्मित किया जा रहा है।

सम्मेलन से उभरने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू बड़े पैमाने की ऊर्जा अवसंरचना वित्तपोषण और कॉरपोरेट–नेतृत्व वाले तकनीकी संक्रमण पर बढ़ती निर्भरता है। सरकार की रूपरेखा में स्मार्ट मीटरिंग, ट्रांसमिशन कॉरिडोर, ग्रिड संतुलन प्रणालियाँ, ऊर्जा भंडारण सुविधाएँ तथा डिजिटाइज्ड बिजली प्रबंधन प्रणालियों में भारी निवेश शामिल है। निश्चित रूप से, सार्वजनिक नियामक संस्थाओं को पर्याप्त रूप से मजबूत किए बिना आक्रामक व्यावसायीकरण अंततः टैरिफ दबाव, निजी ऊर्जा बाजारों पर बढ़ती निर्भरता और आवश्यक अवसंरचना पर लोकतांत्रिक नियंत्रण को कमजोर करेगा।

इस प्रकार इंडिया इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 एक व्यापक नीतिगत परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें भारत का बिजली क्षेत्र बड़े पैमाने की निजी भागीदारी, तकनीकी व्यावसायीकरण तथा बाजार–आधारित सुधारों से संचालित वैश्विक निवेश पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पुनर्गठित किया जा रहा है।

5. भारत के बिजली वितरण क्षेत्र में बढ़ते वित्तीय संकट पर CEA की सिफारिश

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की हालिया रिपोर्ट ने भारत की बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) की बिगड़ती वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट के अनुसार बिजली क्षेत्र एक संरचनात्मक वित्तीय असंतुलन का सामना कर रहा है, जहाँ उत्पादन क्षमता, ट्रांसमिशन प्रणालियों और वितरण अवसंरचना से जुड़ी स्थिर लागतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि उपभोक्ताओं से इन स्थिर शुल्कों की वसूली अपर्याप्त बनी हुई है। परिणामस्वरूप, राज्य–स्वामित्व वाली डिस्कॉम देश में बढ़ती बिजली मांग के बावजूद भारी वित्तीय दबाव झेल रही हैं।

रिपोर्ट यह भी बताती है कि रूफटॉप सोलर परियोजनाओं, बड़े उद्योगों द्वारा कैप्टिव उत्पादन तथा ओपन एक्सेस बिजली खरीद में वृद्धि के कारण डिस्कॉम के उच्च भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं का आधार तेजी से कम हो रहा है। जबकि ये उपभोक्ता बैकअप और नेटवर्क स्थिरता के लिए अब भी ग्रिड पर निर्भर हैं, उपयोगिताएँ अवसंरचना रख–रखाव की पूरी लागत वसूल करने में सक्षम नहीं हैं।

रिपोर्ट यह चेतावनी भी देती है कि डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में निरंतर गिरावट भारत की सार्वजनिक बिजली अवसंरचना की दीर्घकालिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। यदि मजबूत नियामकीय

संरक्षण, न्यायसंगत टैरिफ तंत्र और सार्वजनिक निवेश समर्थन के माध्यम से सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह वित्तीय अस्थिरता घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विश्वसनीय और सस्ती बिजली आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। यह प्रश्न बिजली क्षेत्र की भविष्य दिशा तथा जनकल्याण और व्यावसायीकरण के बीच संतुलन पर गंभीर बहस खड़ी करता है।

6. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि रेलवे को क्रॉस–सब्सिडी और एडिशनल सरचार्ज देना होगा

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील नंबर 4652 ऑफ़ 2024 और उससे जुड़े मामलों में 08.05.2026 के फैसले में, बिजली अपील ट्रिब्यूनल (APTEL) के फैसले को सही ठहराया है और साफ तौर पर कहा है कि भारतीय रेल , इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के नियमों के तहत किसी भी दूसरे उपभोक्ता की तरह, ओपन एक्सेस के ज़रिए बिजली लेने के लिए क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज (CSS) और एडिशनल सरचार्ज (AS) देने के लिए ज़िम्मेदार है।

कोर्ट ने कहा कि रेलवे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के तहत डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी का स्टेटस क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि यह स्वतंत्र उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई नहीं करता है। इसके बजाय, रेलवे बिजली के उपभोक्ता के तौर पर काम करता है, और सिर्फ अपनी ऑपरेशनल ज़रूरतों के लिए बिजली खरीदता है, जिसमें ट्रैक्शन सिस्टम, सिग्नलिंग और स्टेशन से जुड़ी सर्विस शामिल हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि सिर्फ ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑपरेशन किसी एंटिटी को एक्ट के तहत डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी के तौर पर क्वालिफाई नहीं करता है।

क. मुख्य नियामक मामले :–

1. **मार्केट कपलिंग और बिजली सेक्टर का बढ़ता बाज़ारीकरण**

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (पावर मार्केट) (दूसरा अमेंडमेंट) रेगुलेशंस, 2026 के ड्राफ्ट, जिसमें मार्केट कपलिंग को लागू करने का प्रस्ताव है, ने पब्लिक सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स, बिजली कर्मचारियों के संगठनों और राज्य यूटिलिटीज के बीच गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। प्रस्तावित सुधार पावर सेक्टर के गहरे बाज़ारीकरण और व्यापारीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम है, जिससे स्पेक्युलेटिव मार्केट मैकेनिज्म पर निर्भरता बढ़ेगी।

प्रस्तावित मार्केट कपलिंग मैकेनिज्म एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट कपलिंग ऑपरेटर (MCO) के जरिए पावर एक्सचेंजों में एक समान मार्केट क्लियरिंग प्राइस स्थापित करना चाहता है। अभी, कई पावर एक्सचेंज अलग–अलग काम करते हैं और एक ही टाइम ब्लॉक के लिए अलग–अलग कीमतें तय करते हैं, जिससे DISCOMs एक्सचेंजों में उपलब्ध तुलनात्मक रूप से कम कीमतों के आधार पर खरीद को ऑप्टिमाइज़ कर पाते हैं। प्रस्तावित फ्रेमवर्क इस लचीलेपन को खत्म कर सकता है और प्राइस डिस्कवरी को केन्द्रीकृत कर सकता है, जिससे राज्य DISCOMs के लिए खरीद का रिस्क बढ़ सकता है।

यह प्रस्ताव कंज्यूमर्स या यूटिलिटीज को सही फायदा दिए बिना ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, कम्प्लायंस की जरूरतों, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को बढ़ा सकता है। यह प्रस्ताव मार्केट कपलिंग और मार्केट–बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच (डठम्क) के लिए प्रस्तावित फ्रेमवर्क के बीच एक लिंकेज है।

MBED, स्टेट DISCOMs और स्टेट जनरेटिंग कंपनियों से ऑपरेशनल कंट्रोल को सेंट्रलाइज्ड नेशनल–लेवल डिस्पैच सिस्टम की ओर शिफ्ट करके मौजूदा शेड्यूलिंग और प्रोक्योरमेंट ढांचे में काफी

बदलाव कर सकता है। ऐसे बदलाव, राज्यों की ऑपरेशनल ऑटोनॉमी को कमजोर कर सकते हैं, मौजूदा दीर्घ–कालीक और मध्यम–कालीक पावर परचेज़ समझौतों को बाधित कर सकते हैं, और अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट्स के तहत काम करने वाले स्टेट GENCOs और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स पर बुरा असर डाल सकते हैं।

मेमोरेंडम में दावा किया गया है कि मार्केट कपलिंग से सेल बिड्स बढ़ सकती हैं और कीमतें कम करते हुए मार्केट लिक्विडिटी में सुधार हो सकता है। हालांकि, ऐसे अंदाज़े केवल अटकलें हैं और इनके लिए कोई भी दीर्घ–कालीक सबूत मौजूद नहीं है। असल में, एक्सचेंज, MCO फ्रेमवर्क, एल्गोरिदम मैनेजमेंट, कम्प्लायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटलमेंट मैकेनिज्म के अतिरिक्त ऑपरेशनल खर्च आखिरकार बढ़ी हुई बिजली प्रोक्योरमेंट कॉस्ट के ज़रिए उपभोक्ताओं पर डाले जाने की संभावना है।

पावर सेक्टर को पूरी तरह से मार्केट एफिशिएंसी के नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। बिजली सामाजिक विकरा, आर्थिक प्रगति, कृषि तथा जन कल्याण के लिए केन्द्रीय है। इस सेक्टर का मकसद मुनाफों को अधिकतम करने और स्पेक्युलेटिव मार्केट इंटीग्रेशन के बजाय सार्वभौमिक, किफायती और बराबर पहुंच बने रहना चाहिए।

2. CERC ने VPPAs के लिए गाइडलाइन जारी कीं

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (CERC) ने वर्चुअल पावर परचेज़ एग्रीमेंट्स (VPPAs) के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसमें रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन (RCO) कम्प्लायंस के लिए एक नया मार्केट–बेस्ड मैकेनिज्म पेश किया गया है। इस ढांचे के तहत, बड़े उपभोक्ता, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी, ओपन एक्सेस कंज्यूमर और डेज़िग्नेटेड कंज्यूमर, बिजली की असल फिजिकल सप्लाई के बिना रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर के साथ वित्तीय समझौते कर सकते हैं।

रिन्यूएबल जनरेटर पावर एक्सचेंज या दूसरे आधिकृत प्रक्रिया के ज़रिए बिजली बेचेगा, जबकि तय "स्ट्राइक प्राइस" और मार्केट प्राइस के बीच अंतर को पार्टियों के बीच बाइलेटरली सेटल किया जाएगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स से जुड़े रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स (RECs) RCO कम्प्लायंस के मकसद से उपभोक्ताओं को ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि इस ढांचे फ्रेमवर्क को ग्लोबल मार्केट के तरीकों के हिसाब से एक आधुनिक और फ्लेक्सिबल रिन्यूएबल एनर्जी खरीदने के तरीके के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन यह बिजली सेक्टर के बढ़ते वित्तीयकरण और कमोडिटीकरण को भी दिखाता है, जहां रिन्यूएबल एनर्जी की ज़िम्मेदारियों को धीरे–धीरे ट्रेडेबल और कॉन्ट्रैक्ट–बेस्ड मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में बदला जा रहा है, बजाय इसके कि रिन्यूएबल एनर्जी में सीधे सरकारी निवेश को मज़बूत किया जाए।

यह ढांचा पावर सेक्टर में ओवर–द–काउंटर द्वीपक्षीय समझौतों और मार्केट–लिंक्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म की भूमिका को और बढ़ाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी गवर्नेंस में कॉर्पोरेट एनर्जी मार्केट और स्पेक्युलेटिव फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का असर बढ़ सकता है।

3. CERC ने CERC (टैरिफ की शर्तें और नियम) (दूसरा अमेंडमेंट) रेगुलेशन, 2026 को नोटिफाई किया

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (CERC) ने टैरिफ रेगुलेशन, 2026 में दूसरे संशोधन को नोटिफाई किया है, जिससे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) और पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (PSPs) सहित एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ESS) को फॉर्मली नेशनल टैरिफ फ्रेमवर्क के तहत लाया गया है। हालांकि निति निर्धारकों और प्राइवेट डेवलपर्स इस संशोधन को रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन और ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहे हैं, लेकिन एनर्जी ट्रांज़िशन के नाम पर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के बढ़ते कॉर्पोरेटिकरण और व्यवसायिकरण को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

नीति की दिशा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निजी निवेश की ओर धीरे–धीरे बदलाव का संकेत देती है, जिसे एश्योर्ड टैरिफ रिकवरी मैकेनिज्म, रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोविजन्स और लॉन्ग–टर्म पेमेंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का सपोर्ट मिला है। ऐसे रेगुलेटरी उपायों से आखिर में बिजली कंज्यूमर्स और स्टेट यूटिलिटीज पर ज़्यादा टैरिफ लायबिलिटीज और कैपेसिटी चार्ज के ज़रिए काफी फाइनेंशियल बोझ पड़ सकता है।

साथ ही, पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज को तेजी से बढ़ते रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट का समर्थन करने के लिए महंगी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में भारी निवेश करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तब भी जब कई राज्य पहले से ही गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं।

4. CERC ने RTM के लिए कम शेड्यूलिंग टाइमलाइन का प्रस्ताव देते हुए डिस्कशन पेपर जारी किया

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (CERC) ने रियल–टाइम मार्केट (RTM) में शेड्यूलिंग टाइमलाइन को कम करने का प्रपोजल देते हुए एक डिस्कशन पेपर जारी किया है।
इसका मकसद डिमांड और सप्लाई को मैच करना, फोरकास्टिंग एरर्स को कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी में कटौती को कम करना है। पेपर में ट्ज्ड बिडिंग विंडो को 15 मिनट से घटाकर 5 मिनट करने का प्रपोजल दिया गया। इसमें RTM क्लियरिंग और पावर डिलीवरी शुरू होने के बीच 45 मिनट के गैप को 15 मिनट कम करने का भी प्रपोजल दिया गया। नतीजतन, शेड्यूल में बदलाव के खत्म होने और असल डिलीवरी के बीच की कुल टाइमलाइन को मौजूदा 75 मिनट से घटाकर 50 मिनट करने का प्रपोजल है। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पावर ट्रांज़ैक्शन और भी कम समय का सट्टा वाला मामला बन जाता है।

5. CERC ने भारत में बिजली के लिए कैपेसिटी मार्केट पर स्टाफ़ पेपर जारी किया

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (CERC) ने एक स्टाफ़ पेपर जारी किया है जिसमें भारत में रिसोर्स की काफ़ी मात्रा और सिस्टम की विश्वसनीयता को मज़बूत करने के लिए कैपेसिटी मार्केट शुरू करने के लिए एक फ्रेमवर्क बताया गया है।
पेपर में तीन मार्केट डिज़ाइन मॉडल सुझाए गए हैं, जिनमें रिसोर्स की काफ़ी मात्रा/कैपेसिटी की ज़िम्मेदारी के लिए कैपेसिटी मार्केट, रिज़र्व कैपेसिटी मार्केट और सेकेंडरी शॉर्ट–टर्म कैपेसिटी मार्केट (मौजूदा कैपेसिटी के लिए) शामिल हैं। यह पेपर ग्लोबल मॉडल पर आधारित है और मौजूदा पावर परचेज़ एग्रीमेंट–बेस्ड सिस्टम की सीमाओं को दूर करने की कोशिश करता है, जहाँ कैपेसिटी की उपलब्धता हमेशा पक्की नहीं होती है।

6. GNA टाइमलाइन एक्सटेंशन के लिए कम्पेनसेशन चार्ज पर CERC का प्रस्ताव

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (CERC) ने जनरल नेटवर्क एक्सेस (GNA) रेगुलेशंस, 2022 के तहत माइलस्टोन हासिल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स और दूसरे प्रोजेक्ट प्रपोनेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए कम्पेनसेशन चार्ज लगाने के लिए एक नया फ्रेमवर्क प्रपोज किया है। कमीशन ने एक ग्रेडेड कम्पेनसेशन मैकेनिज्म प्रपोज किया है जो डेवलपर्स को लैंड एक्विजिशन, फाइनेंशियल क्लोजर (FC), और प्रोजेक्ट्स की कमीशनिंग जैसे माइलस्टोन के कम्प्लायंस में देरी के लिए तय चार्ज देकर कनेक्टिविटी बनाए रखने की इजाज़त देगा।

7. मिनिस्ट्री ऑफ़ पावर ने इलेक्ट्रिसिटी (कंज्यूमर्स के अधिकार) अमेंडमेंट रूल्स, 2026 का ड्राफ्ट जारी किया

ड्राफ्ट अमेंडमेंट में डिमांड रिस्पॉन्स, नए और मॉडिफाइड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए टाइमलाइन, एबनॉर्मल बिलिंग रिव्यू, टाइम–ऑफ–डे टैरिफ, रूफटॉप सोलर बिलिंग अरेंजमेंट और कंज्यूमर शिकायत निवारण से जुड़े प्रोविजन पेश किए गए हैं। **एक मुख्य प्रपोजल एक डिमांड रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क की शुरुआत है जिसके तहत स्टेट कमीशन डिमांड रिस्पॉन्स प्रोवाइडर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पार्टिसिपेटिंग कंज्यूमर्स के लिए इंसेंटिव, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और मेज़रमेंट, वेरिफिकेशन और फाइनेंशियल सेटलमेंट के लिए प्रोसीजर तय करेंगे।** ड्राफ़्ट में कनेक्शन जारी करने या बदलने की टाइमलाइन में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत, मेट्रोपॉलिटन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में तीन दिन, दूसरे म्युनिसिपल एरिया में सात दिन और ग्रामीण एरिया में पंद्रह दिन के अंदर सप्लाई देनी होगी। पहाड़ी ग्रामीण एरिया के लिए यह लिमिट तीस दिन है। **इसके अलावा, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस होल्डर को बिलिंग साइकिल में असामान्य खपत पैटर्न की पहचान करनी होगी और ऐसे मामलों को तीस दिनों के अंदर सुलझाना होगा। अगर कंज्यूमर समस्या हल होने तक औसत खपत के आधार पर पेमेंट करता रहता है, तो कनेक्शन काटने की इजाज़त नहीं होगी। इन बदलावों में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए टाइम–ऑफ़–डे टैरिफ लागू करना भी ज़रूरी किया गया है।** 1 अप्रैल, 2027 तक 10 kW से ज़्यादा मांग वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए।

8. **CEA ने CEA (मीटरों की स्थापना और संचालन) संशोधन विनियम, 2026 का मसौदा अधिसूचित किया।**

इस संशोधन में यह प्रावधान है कि संचार नेटवर्क वाले क्षेत्रों में सभी उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर, संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा, यह उन क्षेत्रों में प्रीपेड मीटर लगाने की अनुमति देता है जो संचार नेटवर्क के अंतर्गत नहीं आते हैं; हालाँकि, इसके लिए संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी ज़रूरी होगी। इसके अतिरिक्त, सभी उन्नत मीटरिंग बुनियादी ढाँचों में प्रीपेड सुविधा शामिल होनी चाहिए और वे प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार परस्पर–संचालनीय (पदजमतवचमतंइसम) होने चाहिए। विनियमों में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि 1.0/0-5S की सटीकता श्रेणी वाले स्मार्ट मीटर उन उपभोक्ताओं के लिए इंटरफ़ेस मीटर के रूप में कार्य करेंगे जिन्हें 650 ट से अधिक न होने वाले वोल्टेज स्तरों पर 'ओपन एक्सेस' (खुली पहुँच) की अनुमति है; साथ ही, विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए मीटरिंग व्यवस्था में भी संशोधन किया गया है।

ख. बिजली क्षेत्र से संबंधित अन्य मामले :–

1. **भारत कोकिंग कोल ने बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की।**

कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) ने एक नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य वित्त वर्ष 2026–27 की पहली तिमाही के दौरान थर्मल पावर प्लांटों द्वारा कोयले की खपत (offtake) को बढ़ाना है। इसके लिए, कंपनी श्प्रदर्शन प्रोत्साहनश (PI) शुल्कों में छूट दे रही है और अतिरिक्त कोयला उठाने पर 10% तक की नकद छूट प्रदान कर रही है। यह योजना श्ईंधन आपूर्ति समझौतोंश (FSA) के अंतर्गत आने वाले बिजली क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं पर लागू होती हैकृजिनमें 'फ्लेक्सी–लिंकेज तंत्र' के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता भी शामिल हैं। इस योजना के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन, रेल, सड़क और सड़क–सह–रेल मार्गों के माध्यम से कोयले की वास्तविक ढुलाई से जुड़े हुए हैं। सरकार और कोयला क्षेत्र के अधिकारियों ने इस पहल को कोयला लॉजिस्टिक्स में सुधार करने, बिजली की सर्वाधिक मांग वाले समय में स्थिर बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने और बिजली उपयोगिता कंपनियों के लिए उत्पादन लागत को कम करने के एक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया है।

2. **NTPC ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएँ तलाशने के लिए EDF के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए।**

NTPC लिमिटेड और Électricité de France (EDF) के बीच भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की संभावनाएँ तलाशने के लिए हाल ही में हस्ताक्षरित 'समझौता ज्ञापन' (MoU) इस बात को दर्शाता है कि भारतीय ऊर्जा क्षेत्र अब बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट–आधारित और विदेशी प्रौद्योगिकी–संचालित ऊर्जा विकास की ओर अग्रसर है। यह समझौता EDF की 'यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर' (EPR) प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन, स्थानीयकरण की संभावनाओं, टैरिफ संरचनाओं, प्रशिक्षण और भारत में भविष्य की परमाणु परियोजनाओं के लिए स्थल की उपयुक्तता (site feasibility) पर केंद्रित है। इस घटनाक्रम से भारत के रणनीतिक परमाणु क्षेत्र में विदेशी निगमों और निजी भागीदारी के बढ़ते प्रवेश को लेकर महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा होती हैं। ऐतिहासिक रूप से, इस क्षेत्र का विकास Nuclear Power Corporation of India Limited जैसी संस्थाओं के माध्यम से, सार्वजनिक क्षेत्र के कड़े नियंत्रण में हुआ था। हाल के नीतिगत बदलाव, जिनमें SHANTI Act 2025 और परमाणु क्षेत्र को व्यापक निजी भागीदारी के लिए खोलना शामिल है, परमाणु ऊर्जा के उदारीकरण और व्यावसायीकरण की ओर एक बदलाव का संकेत देते हैं।

3. Distribution Utilities Ranking (DUR) Report FY 2023–24–बिजली क्षेत्र के सुधारों और कॉर्पोरेट–उन्मुख बेंचमार्किंग पर चिंताएँ

बिजली मंत्रालय और त्म्ब् स्पउपजमक ने देश भर में बिजली वितरण उपयोगिताओं का मूल्यांकन करने के लिए एक नए राष्ट्रीय बेंचमार्किंग ढांचे के रूप में Distribution Utilities Ranking (DUR) Report FY 2023–24 पेश की है। यह रिपोर्ट DISCOMs का मूल्यांकन वित्तीय प्रदर्शन, उपभोक्ता सेवा वितरण, Renewable Purchase Obligation (RPO) अनुपालन, संचार–सक्षम स्मार्ट मीटरिंग, मांग–पक्ष प्रतिक्रिया उपायों और संसाधन पर्याप्तता नियोजन जैसे मापदंडों के आधार पर करती है। हालाँकि इस रिपोर्ट को बिजली वितरण क्षेत्र में दक्षता और स्थिरता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक सुधार–उन्मुख पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यह केंद्र सरकार की व्यापक नीतिगत दिशा के तहत बिजली क्षेत्र में बाजार–संचालित और कॉर्पोरेट–उन्मुख सुधारों की ओर बढ़ते जोर को भी दर्शाती है।

DUR ढांचा वित्तीय संकेतकों, स्मार्ट मीटरिंग की पैठ, मांग–पक्ष टैरिफ तंत्र और संसाधन अनुबंध व्यवस्थाओं पर काफी जोर देता है; ये सभी RDSS और Electricity (Rights of Consumers) Rules जैसी योजनाओं के माध्यम से बढ़ावा दिए जा रहे मौजूदा पुनर्गठन एजेंडे के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। यह रिपोर्ट वितरण क्षेत्र के सुधारों को परिचालन दक्षता, सब्सिडी लेखांकन, स्वचालित ईंधन अधिभार तंत्र और मांग–पक्ष टैरिफ युक्तिकरण के साथ स्पष्ट रूप से जोड़ती है। इस तरह के दृष्टिकोण सार्वजनिक बिजली उपयोगिताओं का ध्यान उनके पारंपरिक सामाजिक कल्याण और सार्वभौमिक सेवा दायित्वों से हटाकर, तेजी से व्यावसायिक रूप से संचालित प्रदर्शन मापदंडों की ओर केंद्रित कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति बिजली को एक सार्वजनिक कल्याण सेवा से धीरे–धीरे एक बाजार–उन्मुख वस्तु में बदलने को लेकर चिंताएँ पैदा करती है।